फर्दअहकाम
(नियम– 20)

अज अदालत ....सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), ... गुड़ामालानी...........

	बनाम	
प्रार्थीगण 1. उदा पुत्र रामा वगैरा (24) जाति जाट निवासी आदर्श रामेश्वरनगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर		विप्रार्थीगण 1. उम्मी पत्नी डूंगराराम वगैरा (25) जाति जाट निवासी आदर्श रामेश्वर नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 26. मैनेजर एस.बी.आई. शाखा गुड़ामालानी 27. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

मु0नं0...80../23.

किस्म मुकदमा......धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.05.2023	प्रार्थीगण उदा वगैरा की ओर से यह प्रार्थना पत्र वकील श्री गंगाराम चौधरी द्वारा विप्रार्थीगण उम्मी वगैरा के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया। जिसे बाद जांच दर्ज रजिस्टर से तलब किया गया। वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की अराजी मौजा आदश रामेश्वर नगर पटवार क्षेत्र पीपराली में खेत खसरा नम्बर 414, 427, 427/1 रकबा कमशः 1.3678, 7.3329, 2.8733 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 429 रकबा 5.2285 हैक्टेयर की अवस्थित है। जिसके सेढा–सेढ विप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 428 रकबा 8.4013 हैक्टेयर का आया हुआ है। विप्रार्थीगण राजनैतिक पहुंच वाले, बाहुबल व धनवल वाले व्यक्ति होने से हमेशा प्रार्थीगण के खेत की जबरन बाढ तोडकर प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा कर हथियाने की नीयत से प्रार्थीगण के खेत में अतिक्रमण कर निर्माण करने पर आमादा है। यदि विप्रार्थीगण इस प्रकार प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करने में कामयाब हो जाते हैं तो प्रार्थीगण को अपूरतनीय क्षति होगी। प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि की सुरक्षार्थ विप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद न्यायालयश्री में पेश किया है। मूल वाद के निस्तारण में समय लगना सम्भव है। अतः दौराने दावा विरूद्ध विप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री गंगाराम चौधरी से एक पक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रस्तुत जमाबन्दी में प्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड खातेदार हैं, वकील प्रार्थीगण की बहस अनुसार विप्रार्थीगण प्रार्थीगण की खातेदारी की पुरानी माठों को तोडकर प्रार्थीगण की भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में निहित है, एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आगामी तारीख पेशी तक विप्रा[illegible] इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया जाता है [illegible] आराजी ग्राम आदर्श रामेश्वर नगर पटवार क्षेत्र पीपराली में खेत [illegible] नम्बर 414, 427, 427/1 रकबा कमशः 1.3678, 7.3329, 2.8733 [illegible] खसरा नम्बर 429 रकबा 5.2285 हैक्टेयर हैक्टेयर भूमि के मौके [illegible] स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें। वकील प्रार्थीगण विप्रार्थीगण के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित करें। विप्रार्थीगण को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 10.07.2023 को पेश हो। (रामजी भाई कलबी) सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी	प्रतिलिपि : 1. तहसीलदार गुड़ामालानी 2. प्रार्थीगण/विप्रार्थीगण (रामजी भाई कलबी) सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.10.09 16:34:20 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म

8/5/24 पत्रावली पेश हुई । आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है । अतः इत्लावा होकर पत्रावली आइन्दा 1/7/24 को पेश हो ।

1/7/24 पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थीगण को मय अनुपस्थिति कोई सबब है अनुपस्थिता तीन बार तीन-तीन आवाजें दिलाई गई। आवाजें दिलाने के प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। अतः न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम निषेधाज्ञा दिनांक 23/5/23 तक संशोधित निषेधाज्ञा दिनांक 28/7/23 निरस्त की जाकर उक्त प्रकरण प्रार्थीगण की [illegible] व अदम पैरवी [illegible] खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.10.09 16:34:20 IST
Reason: SelfAttested